भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3419
दिनांक 7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

एम्स और चिकित्सा महाविद्यालयों में संकाय सदस्यों की कमी

3419. श्री मनसुखभाई धनजीभाई वसावा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देशभर के एम्स सहित नर्सिंग, दंत चिकित्सा तथा चिकित्सा महाविद्यालयों में संकाय सदस्यों की कमी है;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (ग): नर्सिंग, दंत चिकित्सा और चिकित्सा संस्थानों में पर्याप्त संकाय क्षमता बनाए रखना संबंधित नियामक निकायों, अर्थात् भारतीय उपचर्या परिषद (आईएनसी), राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनडीसी), राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) द्वारा निर्धारित विनियमों और मानकों के माध्यम से शासित किया जाता है। आईएनसी, एनडीसी और एनएमसी क्रमशः नर्सिंग, दंत चिकित्सा और चिकित्सा संस्थानों के लिए न्यूनतम संकाय आवश्यकताएँ निर्धारित करते हैं। इनका अनुपालन संबंधित नियामक प्राधिकरणों द्वारा मान्यता/अनुमति प्रदान करने, नवीनीकरण करके और उसे जारी रखने के लिए समय-समय पर किए जाने वाले निरीक्षणों, आकलनों और अन्य नियामक तंत्रों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है।

जन स्वास्थ्य राज्य का विषय है, देश में उपलब्ध चिकित्सा पेशेवरों को विभिन्न स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थाओं में नियुक्त करने से संबंधित मामला राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आता है।

संकाय पदों की भर्ती प्रक्रिया और उन्हें भरना एक सतत प्रक्रिया है। रिक्तियाँ सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, संस्थानों के विस्तार, नए पदों के सृजन तथा कुछ विशेषज्ञताओं और स्थानों में उपयुक्त पात्र उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण उत्पन्न होती हैं और संबंधित संस्थान समय-समय पर निर्धारित भर्ती नियमों के अनुसार रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक कार्रवाई करते हैं।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (एनएमसी) ने पर्याप्त संख्या में योग्य चिकित्सा संकाय की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ-साथ समान शैक्षणिक मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से दिनांक 30.06.2025 को चिकित्सा संस्थान (संकाय की योग्यताएँ) विनियम, 2025 (एमआईक्यूएफ़-2025) अधिसूचित किए हैं। ये विनियम पात्र 220-बिस्तरों वाले सरकारी अस्पतालों को शिक्षण संस्थानों के रूप में कार्य करने की अनुमति देकर शिक्षण अवसंरचना के विस्तार का प्रावधान करते हैं, संकाय पात्रता मानदंडों को उदार बनाते हैं, योग्य चिकित्सा और गैर-चिकित्सा संकाय के व्यापक पूल को मान्यता देते हैं, निर्दिष्ट प्रशासनिक और नियामक अनुभव को शिक्षण अनुभव के रूप में मानते हैं, साथ ही चिकित्सा शिक्षा प्रौद्योगिकी और जैव-चिकित्सा अनुसंधान में प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाते हैं।
